

विचार बिन्दु

धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल है। –फ्रैंकलिन

समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है

दिनांक 03.10.2025 के अतिथि सम्पादकीय में लेखक ने यह कहा था कि कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिनका शासन रहा है संविधान की अवज्ञा की है। प्रथम विषय उदाहरण के हेतु था “शिक्षा का अधिकार मानव का सर्वोच्च मूल अधिकार है।” लेखक का मूल उद्देश्य था कि 6 वर्ष तक के बालकों का शिक्षा का मूल अधिकार संविधान संशोधन से छीना गया है, जबकि शिक्षा का यह अधिकार दिनांक 25.01.1960 तक बालक को आठवीं कक्षा तक पूरा किया जाना था।

संविधान के अनुच्छेद 44 में, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का एक अनुच्छेद है, यह निर्देश है कि “राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता निर्धारित करने का प्रयास करेगा।” इस अवधारणा का आधार था कि धर्म और व्यक्तित्व कानून (स्वयं विधि) का कोई संबंध सभ्य समाज में नहीं है। निदेशक तत्वों द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभाव रूप से स्थापना और संरक्षक करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। ये तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं और निश्चित ही विधि बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। डा.अम्बेडकर के शब्दों में ये तत्व केवल पूजनीय घोषणायें नहीं हैं अपितु अनुदेशों के दस्तावेज हैं। इस प्रकार समान नागरिक संहिता लागू करना संवैधानिक दायित्व है।

आजादी के 78 वर्ष बाद भारत की प्रगति को देखते हुये, “यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य यह कहे कि नीति निदेशक सिद्धान्त प्रवर्तनशील नहीं हैं। संविधान के चेप्टर-III व IV के प्रावधान जहां राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं वहीं ये मानवीय अधिकार भी हैं जब वे मानव अधिकार हैं तो फिर ये प्रवर्तनशील हैं। राज्य में समान सिविल संहिता लागू होगी यह निर्णय संविधान निर्मात्री सभा 1950 से पूर्व ले चुकी है और 26 जनवरी 1950 से अनुच्छेद 44 में यह व्यवस्था है। विधान निर्मात्री सभा ने पूर्ण चर्चा के बाद इसे पारित किया था। इस प्रकार यह प्रश्न आज नहीं उठता। या सकता कि समान नागरिक संहिता लागू हो या नहीं?

सन् 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो व श्रीमती जोर्डन डॅंगदेह के केसेज में समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लोख किया इसके 10 वर्ष बाद सरला मुदगल के केस में इसे लागू करने पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि सभ्य समाज में धर्म व वैयक्तिक कानून में कोई संबंध नहीं है। बहु विवाह लोक नीति के विरुद्ध है और समाज की उन बुराइयों व कुप्रथाओं के रूप में माना जाना चाहिये जैसे सती व मानव बलि जैसे प्रथायें थीं। न्यायालय ने दो राष्ट्रीय के सिद्धान्तों को नकारते हुये इसे स्पष्ट किया कि देश एक है और सभी के हेतु समान नागरिक संहिता होनी चाहिये। इसके बाद 2003 में पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जॉन वेलभट्टन के केस में उपरोक्त सिद्धान्तों को पुनः दोहराया। स्पष्ट इंगित किया कि शादी, उत्तराधिकार के मामले धर्म निरपेक्ष हैं, इनका कोई संबंध धर्म से उन मूल अधिकारों से नहीं है जिनका उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है। संविधान निर्मात्री सभा में अनुच्छेद 44 के बाबत वार्ता में के.एम. मुंशी ने इस विषय पर बोलते हुये आपत्तियों का जोरदार खण्डन किया था। इसका समर्थन करते हुये डा.अम्बेडकर ने बताया था कि 1935 से पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम भाग में उत्तराधिकार के मामले शरीयत से तय नहीं होकर, हिन्दू सक्सेशन लॉ से गवर्नर होते थे।

देश की कुछ राज्य सरकारों ने समान नागरिक

संहिता पर अपने राज्यों में कानून बनाये हैं।

उत्तराखण्ड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने

समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है।

गोवा में तो पहले ही से समान नागरिक संहिता

लागू है। राज्य ने संविधान की अवज्ञा बहुत कर

ली किन्तु समय की पुकार है कि सम्पूर्ण देश पर

समान नागरिक संहिता लागू हो। हमें यह

मानकर चलना होगा कि समान नागरिक संहिता

लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है और

इस पर गम्भीरता से अमल करना चाहिये।

में अच्छा नहीं हो सकता। अतः जो धर्म शास्त्र में गलत है वह कानून में भी गलत है। इसी बात को जस्टिस कुरियन जोसफ ने बहुमत के अपने निर्णय में भली भांति समझाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि “जब तुम किसी महिला को तलाक देते हैं तो उसका आधार विवेकपूर्ण होना चाहिये।” बहुमत से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खेहर ने अल्पमत के निर्णय को जिसमें अनुच्छेद 25 का लाभ दिया है उसे धर्म का अभिन्न अंग मानने से इन्कार किया है अर्थात् भिन्न मत अभिव्यक्त किया है और तलाक की प्रथा को कुरान के विरुद्ध माना है।

लेख के प्रारम्भिक भाग में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 44 के संबंध में दिये गये निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें सरला, मुदगल, शाहबानों, श्रीमती जार्डन डॅंग देह व 2003 के जान वेलभट्टन के केसेज का उल्लेख है। इन सब में स्पष्ट किया है कि सभ्य समाज में धर्म व वैयक्तिक कानून में कोई संबंध नहीं है। देश एक है, देश के नागरिक सब समान हैं और समता, समरसता व समानता के हेतु समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आप शादी की संस्कार अथवा कान्ट्रेन्ट कुछ भी माने, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार शादी की प्रक्रिया पूरी कर सकता है, किन्तु शादी का पवित्र बंधन में बंधे जोड़े के लिए खुशहाली का जीवन पथार के साथ चलता रहे और यदि जीवन असह्य हो जावे, सुलह के रास्ते बेद हो तो विवाह का बंधन परिमा पूर्ण तरीके से टूटे और सभी के हेतु समान कानून इस हेतु बने। समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख संविधान के नीति निदेशक तत्वों के चेप्टर में है, उसकी पूर्ण पालना है।

यहाँ यह लिखना उचित होगा कि विधानसभा निर्मात्री सभा के समक्ष जब चर्चा चल रही थी तो एक माननीय सदस्य मोहम्मद इस्माईल साहब ने अनुच्छेद 44 में (जो पूर्व में अनुच्छेद 35 था) एक संशोधन प्रस्तावित किया, वह इस प्रकार था, “किन्तु किसी गुप, संवैधान अथवा कम्प्यूनिटी की यह सोच बाध्यकारी नहीं होगी, जिसका अपना पर्सनल कानून है।” इस संशोधन पर बहस के बाद इसे नकार दिया गया। डॉ.अम्बेडकर ने इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा था कि सन् 1935 तक नोर्थ वेस्ट फ्रंटीयर प्रोविन्स में सक्सेशन आदि के संबंध में हिन्दू लॉ लागू होता था और 1937 तक शेष भारत के कई भागों में जैसे यू.पी., सेन्ट्रल प्रोविन्स, बम्बई में अधिकांश मुस्लिम सक्सेशन के मामलों में हिन्दू विधि से शासित होते थे।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गजेन्द्र गडकर ने अपने एक भाषणा में कहा था, “अनुच्छेद 44 को लागू नहीं करना भारतीय डेमोक्रेसी की विफलता है।” जस्टिस हेगडे ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि “सोसाइटी की यदि विभिन्न कानूनों के द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पार्टमेंट में बांट दिया गया तो वह कभी भी एक रूप नहीं हो सकती।” धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ मध्यकाल की बात है। जस्टिस छागला ने कहा था कि देश को प्रत्येक नागरिक को नीति निदेशक तत्वों के दर्शन को मानना चाहिए।

हम यदि भारतीय समाज की बात करें अथवा अन्य मुस्लिम देशों की जैसे टर्की, ट्यूनेशिया, सीरिया, मोरक्को, मिश्र, पाकिस्तान, ईरान आदि की बात करें तो स्पष्ट है कि इन देशों ने अपने आचरण से यह स्वीकार कर लिया है कि मुस्लिम विधि अब अश्वेदनीय अथवा अखण्डनीय नहीं है।

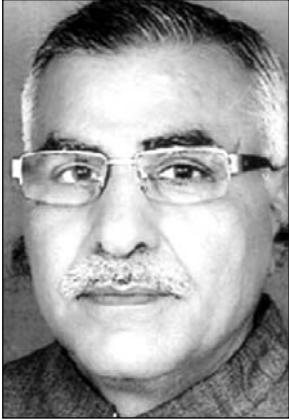
देश की कुछ राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता पर अपने राज्यों में कानून बनाये हैं। उत्तराखण्ड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। गोवा में तो पहले ही से समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य ने संविधान की अवज्ञा बहुत कर ली किन्तु समय की पुकार है कि सम्पूर्ण देश पर समान नागरिक संहिता लागू हो। हमें यह मानकर चलना होगा कि समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है और इस पर गम्भीरता से अमल करना चाहिये। यह देश हित में है समता, समनता व बन्धुत्व की भावना को शक्तिशाली धरातल देने के लिये आवश्यक है। अनुच्छेद 25 धर्म के आचरण के सम्बन्ध में स्वतंत्रता देता है वहीं अनुच्छेद 44 सामाजिक सम्बन्धों व वैयक्तिक कानूनों को धर्म से अलग रखता है।

“सबको सम्मति दे भगवान् – ईश्वर अल्लाह तेरो नाम”।

–अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द जैन,

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



गुलाब बत्रा

राजस्थान अब इतिहास, संस्कृति और पर्यटन का पर्याय होने के साथ ही औद्योगिक प्रगति का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार दूरदर्शी औद्योगिक नीति से पारंपरिक ढांचे को तोड़ते हुए आधुनिक औद्योगिक युग की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है। इन्हीं से एक ऐतिहासिक पहल ‘प्लग एंड प्ले प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स’ उद्योगों के नए युग का सूत्रपात कर रही है। यह परियोजना राजस्थान के युवाओं के उद्यमशील सपनों को जमीन देने वाली नीति दृष्टि का परिणाम है। इसमें न केवल निवेश आकर्षण का लक्ष्य है, बल्कि

रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी यह एक सशक्त कदम है। भजनलाल शर्मा सरकार ने यह साबित किया है कि इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता से बजट घोषणाओं और विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में खेरथल-तिजारा और जयपुर जिले में ‘प्लग एंड प्ले’ कॉम्प्लेक्स को घोषणा के कुछ ही महीनों में इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार नीतियों के साथ-साथ परिणामों पर भी उत्तना ही ध्यान दे रही है।

जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 4000 वर्गमीटर भूमि पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा किया गया है। इसमें 33 रेडो-टू-यूज मॉड्यूल्स तैयार हैं। इनमें उद्यमियों को बस प्रवेश कर व्यवसाय आरंभ कर देना है। यह मॉडल इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि सरकार ठोस नीयत और तत्परता से कार्य करे तो औद्योगिक परियोजनाएँ वर्षों नहीं, महीनों में साकार हो सकती हैं। राज्य सरकार ने इस परियोजना को केवल जयपुर तक सीमित नहीं रखा है। अलवर जिले के चोपांकी औद्योगिक क्षेत्र में 10,046 वर्गमीटर भूमि पर इसी तरह के कॉम्प्लेक्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र लंबे समय तक औद्योगिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है, लेकिन अब बालोतरा जिले के बोड़वास कलावा औद्योगिक क्षेत्र को ‘प्लग एंड प्ले’ योजना से जोड़ा गया है। यहाँ चार भूखंड सरस परियोजना के लिए नियोजित किए गए हैं। इनमें से दो पर निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 : जनता के काम, जनता के द्वार की अवधारणा हो रही साकार

राजस्व अभिलेखों में त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया से मारुफ को मिली बड़ी राहत



सविता सिंह

राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ने एक बार फिर साबित किया है कि यह पहल ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्याओं का त्वरित समाधान करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। बाड़मेर जिले की ठाम पंचायत इटादा, तहसील धनाऊ निवासी मारुफ पुत्र अमीर को लंबे समय से राजस्व अभिलेखों में हिस्सा सही दर्ज न होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

समस्या के समाधान के लिए मारुफ एवं उनके सहखटायदों ने धनाऊ में आयोजित ठामीण सेवा शिविर में सहमति शुद्धि के लिए आवेदन प्रस्तुत

किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रभारी तहसीलदार धनाऊ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक आलमसर और पटवारी इटादा को दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए। अधिकारियों ने मौके पर ही दस्तावेजों का मुआयना कर शुद्धि प्रस्ताव तैयार किया। विशेष बात यह रही कि प्रस्ताव तैयार होने के तुरंत बाद शिविर स्थल पर ही इसे स्वीकृत कर दिया गया तथा राजस्व रिपोर्टों में आवश्यक नामांकन की कार्यवाही भी पूर्ण कर दी गई। इस त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया से मारुफ पुत्र अमीर और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली।

मारुफ ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन का आभार जताया और कहा कि इस प्रकार के शिविरों से अब आमजन को दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सफलता की कहानी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से सरकार जनता के काम, जनता के द्वार की अवधारणा को साकार कर रही है और सुदूर क्षेत्रों के किसानों व ग्रामीणों तक सरकारी सेवाएँ सरलता एवं त्वरित गति से पहुंच रही हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर में मिला भूमि का स्वामित्व मातादीन और जगदीश के

भविष्य की मजबूत हुई बुनियाद-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशभर में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों के लिए संबल का माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों में ना केवल वर्षों से अटकी समस्याओं का निस्तारण किया है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखण्ड के एक छोटे से गांव जमूरा का अड्डा में विशेष रूप से घुमटू-अर्द्धघुमटू मोगिया समुदाय निवास करता है। यहाँ रहने वाले मातादीन पुत्र बंशी, जगदीश पुत्र हरिसिंह अपने परिवार के साथ सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर जीवनयापन कर रहे थे। जीवन की कठिनाइयाँ, आर्थिक तंगी और छत के अभाव में वह लागावर संघर्ष कर रहे थे। पक्की छत नहीं होने से बारिश हो या धूप धूप, उनके लिए कोई राहत नहीं होती।

गांव में हुए आवासी पट्टे के सर्वे के दौरान मातादीन एवं जगदीश को जब बताया गया कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है, तब पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ। लेकिन ग्राम पंचायत नकसौदा के ग्रामीणों एवं स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने आवेदन किया। काफी इंतजार और प्रक्रिया के बाद उनको आवासीय पट्टा भूमि का स्वामित्व मिला।

सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और भूमि पट्टा वितरण योजना ने उनकी जिंदगी में नया उजाला ला दिया। जब उन्हें ग्राम पंचायत नकसौदा में ग्रामीण सेवा शिविर में पट्टा मिला तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह उनके वर्षों के संघर्ष की गवाही दे रही थी। अब वे ना सिर्फ अपने लिए घर बना सकते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी को भी बेहतर जीवन दे सकते हैं। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी भगवत शरण त्यागी एवं तहसीलदार उत्तम चंद बंसल को उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि योजनाएँ सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे तो जिंदगी बदल सकती है। पट्टा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं यह उनके आत्मसम्मान और भविष्य की बुनियाद बन गया है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत सींगड़ा की मोनिका को मिला लाभ-

प्रदेश में आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने का सफल प्रयास साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत सींगड़ा में आयोजित शिविर के दौरान मोनिका की पुत्री सुदेश कुमारी के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया। शिविर में मोनिका की दूसरी बेटी

के जन्म पर पोषण ट्रैकर पर उसका ऑनलाइन पंजीकरण किया गया तथा योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरा गया। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसे 6000 रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई, जिससे उसके परिवार को आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। शिविर के दौरान मोनिका की बेटी का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया गया। यह कार्यक्रम एक सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के अधिकारी एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अपनी बेटी के अन्नप्राशन और योजना से लाभ प्राप्त कर मोनिका ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मिकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह राशि उनके परिवार के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी और इस योजना ने मातृत्व काल में उन्हें सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है। सींगड़ा शिविर में मोनिका को मिला यह लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रभावो क्रियान्वयन का एक प्रेरणादायी मिसाल प्रस्तुत करता है।

–सविता सिंह,

एपीआरओ, राजस्थान सरकार

सुहागिनों का त्योहार “करवा चौथ”



डॉ. मोनिका ओझा खत्री

करवा चौथ हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएँ अपने पति की सलामती, अपने वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि

और लम्बी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ पर्व इस साल 1 0 अक्टूबर, शुक्रवार को है। पंचांग के मुताबिक करवाचौथ पर पूजा का शुभ समय शाम 5:57 मिनट से शुरू होगा जो 7:11 बजे तक रहेगा। यानि पूजा का शुभ मुहूर्त एक घंटे 14 मिनट का होगा। चंद्रोदय शाम 7 बजकर 42 मिनट पर रहेगा।

इस दिन महिलाएँ रात को चांद देखकर उसे अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत की शुश्रूषा सावित्री के त्याग और फल से हुई थी। पौराणिक कथा अनुसार सावित्री अन्न-जल त्याग कर यमराज से अपने पति को वापस लाई थी। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात

में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। यह व्रत अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। इस दिन महिलाएँ सोलह श्रृंगार करती हैं। सोलह श्रृंगार में माथे पर लंबी सिंदूर अवश्य हो क्योंकि यह पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। मंगलसूत्र, मांग टीका, बिंदिया, काजल, नथनी, कर्णफूल, मेहंदी, कंगन, लाल रंग की चुनरी, बिछिया, पायल, कमरबंद, अंगूठी, बाजूबंद और गजरा ये 16 श्रृंगार में आते हैं। इस दिन सुहागिन सिरियाँ निजल व्रत कर चौथ माता से अपने पति की लम्बी उम्र की कामना करती हैं।

इस व्रत को उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। व्रत में चौथ माता के पूजन का महत्व

सर्वाधिक है। इस दिन महिलाएँ सजी थाली से पूजा करना शुभ मानती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता की पूजा करना जरूरी होता है। थाली में सिंदूर, रोली, जल और सूते मेवे रखते हैं। करवा चौथ के व्रत और पूजा में इस थाली का खासा महत्व होता है। करवा चौथ पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा होती है। पूजा में शाम को सभी व्रती महिलाएँ एक साथ बैठ व्रत कथा करती हैं। सबसे पहले चौथ माता की स्थापित मूर्ती पर फूल-माला और कलावा चढ़ाया जाता है और उनके प्रतिमा के आगे करवा में जल भर कर रखा जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा उदय होने का समय सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्व है कि क्योंकि वे अपने पति की लम्बी उम्र के लिये पूरे दिन (बिना पानी के) व्रत रखती हैं। वे केवल

उगते हुये पूरे चाँद को देखने के बाद ही पानी पीती हैं। यह माना जाता है कि चाँद देखे बिना व्रत अधूरा है। इस दिन महिलाएँ शिव, पार्वती और कार्तिक की पूजा-अर्चना करती हैं फिर शाम को छलनी से चंद्रमा और पति को देखते हुए पूजा करती हैं। पूजा के समय ही करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। चन्द्रमा को छलनी से देखा जाना चाहिए फिर अंत में पति के हाथों से जल पीकर व्रत समाप्त हो जाता है अंत में चांद का दीदार करने के बाद महिलाएँ पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। यह माना जाता है कि अगर छलनी में चंद्रमा देखते हुए पति का चेहरा देखा शुभ माना जाता है।

–डॉ. मोनिका ओझा खत्री

(लेखक पूर्णिमा

यूनियर्सिटी, जयपुर के बीबीए की विभागाध्यक्ष है।)

राशिफल



पंडित अनिल शर्मा

शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सायं 5:31 से सूर्योदय तक है। कुमार योग 7:39 से सूर्योदय तक है। आज करवा चौथ (करक) व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में 8:25 पर होगा। आज दशरथ चतुर्थी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:54 तक, लाभ-अमृत 7:54 से 10:47 तक, शुभ 12:14 से 1:41 तक, चर 4:34 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 6:01

शुक्रवार 10 अक्टूबर, 2025

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, कृत्तिका नक्षत्र सायं 5:31 तक, सिद्धि योग सायं 5:41 तक, बव कर्ण प्रातः 9:17 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

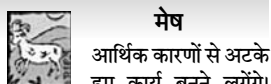
ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृष, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरु-मिथुन,

शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सायं 5:31 से सूर्योदय तक है। कुमार योग 7:39 से सूर्योदय तक है। आज करवा चौथ (करक) व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में 8:25 पर होगा। आज दशरथ चतुर्थी है।

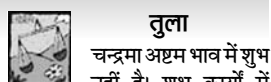
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:54 तक, लाभ-अमृत 7:54 से 10:47 तक, शुभ 12:14 से 1:41 तक, चर 4:34 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 6:01



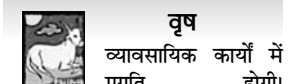
मेष

आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों पर नियंत्रण रखें।



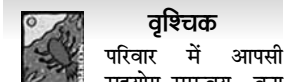
तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियाँ अभी यथावत बनी रहेंगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।



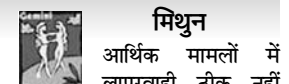
वृष

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



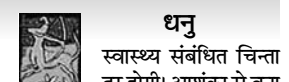
वृश्चिक

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



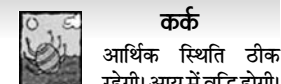
मिथुन

आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।



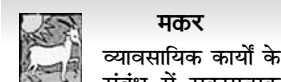
धनु

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में आज उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



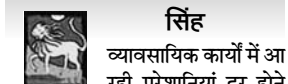
कर्क

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आज घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।



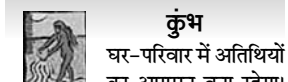
मकर

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



सिंह

व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियाँ दूर होने लगेंगी। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उज्ज्वल सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।



कुंभ

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

